

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट


श्री दिलीप कुमार मेघवाल
निवासी 291, महादेवजी रोड,
मेघवालों का वास, सिन्दरथ
तहसील व जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 54 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुकम की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को एक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2025 को देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिन्दरथ में दिनांक 07.07.2025 को पण्डित दीनदयाल अन्त्योदय संबल पखवाडा अन्तर्गत शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें तहसीलदार सिरौही को कैम्प प्रभारी नियुक्त किया गया था। उक्त कैम्प में ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवादों पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को एक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2025 को देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिन्दरथ में दिनांक 07.07.2025 को पण्डित दीनदयाल अन्त्योदय संबल पखवाडा अन्तर्गत शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें तहसीलदार सिरौही को कैम्प प्रभारी नियुक्त किया गया था। उक्त कैम्प में ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवादों पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही